उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (2) अनुभाग

संख्या 2167/15-2-85-27 (100)-82

लखनऊ, 25 मई, 1985

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०—

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985

भाग एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा में समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य किसी पद के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क" में पद के सामने यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संबर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा से है;

(ज) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य सम्भागीय उप निदेशक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकीय शिक्षा संस्थाएँ/रजिस्ट्रीकृत विभागीय परीक्षा, इलाहाबाद के कार्यालय से है.

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो.

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायँ, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है :

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

[द] राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है जिन्हें वह उचित समझे।

भाग तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी—

पद का नाम	भर्ती का स्रोत
1. कनिष्ठ लिपिक	[1] समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग [सीधी भर्ती] नियमावली, 1975 के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।
	[2] समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग [सीधी भर्ती] नियमावली, 1975 के नियम 7 के परन्तुक के अनुसार रिक्तियों का 15 प्रतिशत तक समूह "घ" के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।

2. ज्येष्ठ लिपिक	संबद्ध सम्भाग के ऐसे स्थायी कनिष्क लिपिकों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा ।
3 ज्येष्ठ उप लेखक प्रालेखक/ज्येष्ठ सहायक	सभी अधीनस्थ कार्यालयों की संयुक्त ज्येष्ठता के अनुसार ऐसे स्थायी ज्येष्ठ लिपिकों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो पदोन्नति द्वारा.।
4. प्रधान लिपिक 5. गोपनीय सहायक 6. प्रभारी (सामान्य)	ऐसे स्थायी ज्येष्ठ उप लेखक-प्रालेखकों/ज्येष्ठ । सहायकों में से जिन्होंने इस रूप कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा
7. सहायक रजिस्ट्रार	स्थायी प्रधान लिपिक, प्रभारी सामान्य, गोपनीय सहायक में से उनकी संयुक्त ज्येष्ठता के अनुसार, पदोन्नति द्वारा ।
8. आशुलिपिक	सीधी भर्ती द्वारा ।

टिप्पणी--इस नियम के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी । किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायगी, यदि दो या अधिक व्यक्तियों की मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही हो तो आयु में ज्येष्ठ व्यक्ति सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायगा ।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग चार-अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7—किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती-तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें—

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो, और न देने से इन्कार किया गया हो किसी परीक्षा, या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें हों :—

पद	अर्हता
1—कनिष्ठ लिपिक	समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित है।
2—आशुलिपिक	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा और, (दो) हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा कार्य साधक ज्ञान। ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायगा, जिसे अंग्रेजी आशुलिपिक और टंकण का भी ज्ञान हो।

अधिमानी अर्हता

9—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो ; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाये, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थीको नियुक्ति के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तु करें :—

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग पांच—भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

1—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा।

नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्रों में भी रिक्तियां विज्ञापित कर सकता है।

कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15—कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर भर्ती, चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा हो-या-पदोन्नति द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग [सीधी भर्ती] नियमावली, 1975, में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायगी।

आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16—(1) आशुलिपिक के पद पर भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

[एक] सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ... अध्यक्ष

[3] चयन समिति उपनियम [2] में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

[4] चयन समिति चयन किए गए अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18.—[1] नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिस में उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

[2] नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम [1] में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी।

परिवीक्षा

19.—[1] सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परवीक्षा पर रखा जाएगा।

[2] नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी।

[3] यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

[4] उपनियम [3] के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

[5] नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

20.—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

[क] उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

[ख] उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

[ग] नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21---[1] एतद्पश्चात् यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से जिसमे उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति को मौलिक रूप मे नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

[2] किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्टता वही होगी, जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

[3] पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उसकी पदोन्नति की गयी।

भाग सात---वेतन आदि

वेतनमान

22---[1] सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थापन रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

[2] इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं---

पद का नाम		वेतनमान
[एक] कनिष्क लिपिक	...	354-10-424-द० रो०-10-434-12-514-द० रो०-12-550 रुपया।
[दो] ज्येष्ठ लिपिक	...	430-12-490-15-520-द० रो०-15-640-द० रो०-16-685 रुपया।
[तीन] ज्येष्ठ सहायक/ज्येष्ठ उपलेखक-प्रालेखक	...	470-15-575-द० रो०-15-650-17-701-द० रो०-17-735 रुपया।

[चार] प्रभारी [सामान्य]	...	515-15-590-18-626-द० रो०-18-680-20-780-द० रो०-20-860 रुपया
[पांच] गोपनीय सहायक	...	515-15-590-18-626-द० रो०-18-680-20-780-द० रो०-20-860 रुपया
[छः] प्रधान लिपिक	...	515-15-590-18-626-द० रो०-18-680-20-780-द० रो०-20-860 रुपया
[सात] सहायक रजिस्ट्रार	...	670-25-770-30-800-द० रो०-30-980-द० रो०-30-1100 रुपया ।
[आठ] आशुलिपिक	...	470-15-575-द० रो०-15-650-17-701-द० रो०-17-735 रुपया ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23—[1] फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय मान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोष प्रद सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की एणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

[2] ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

[3] ऐसे व्यक्ति की जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू ससंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षता रोक पार करने का भारबन्ध

24—किसी व्यक्ति को :—

[एक] प्रथम दक्षतारोक पार करने को, अनुमति, तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

[दो] द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तक तब नहीं दी जायगी जब तक कि उसने चरित्रता और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

पक्ष समर्थन

25—पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से उस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।

व्यावृत्ति

28—इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

[नियम 3 (क) और 4 (2) देखिए]

क्रम-संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		योग	नियुक्ति प्राधिकारी
		अस्थायी	स्थायी		
1	2	3	4	5	6
1.	कनिष्ठ लिपिक	972	1324	2296	संभागीय शिक्षा उप निदेशक
2.	ज्येष्ठ लिपिक ...	417	522	939	
3.	आशुलिपिक ...	...	216	216	
4.	ज्येष्ठ सहायक/ज्येष्ठ उपलेखक-प्रालेखक	57	122	179	अपर शिक्षा निदेशक (देसिक)।
5.	प्रभारी (सामान्य) ...	...	1	1	
6.	प्रधान लिपिक ...	...	1	1	
7.	गोपनीय सहायक ...	...	5	5	
8.	सहायक निबन्धक ...	..	1	1	शिक्षा निदेशक

परिशिष्ट "ख"

[नियम (6) (2) देखिए]

(आशुलिपिक की परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण)

परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के लिये अधिकतम अंक निम्नलिखित है :—

1—आशुलिपिक (हिन्दी)	... ...	100 अंक
2—हिन्दी निबन्ध	... ...	50 अंक
3—साक्षात्कार	... ...	50 अंक

2—आशुलिपिक की परीक्षा में पांच मिनट का हिन्दी के एक गद्यांश का श्रुतलेख 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जायगा। श्रुतलेख के आशुलेखन की अनुलिपि और उन्हें टंकित करने के लिए एक घंटे का समय दिया जायगा। गद्यांश का चयन केवल अभ्यर्थियों की आशुलिपि में गति का परीक्षण करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि उनके अच्छी मुहावरेदार हिन्दी के ज्ञान की परीक्षण की दृष्टि से भी किया जायगा। किसी भी अभ्यर्थी को सेवायोजन के लिये अर्ह नहीं समझा जायगा यदि परीक्षा में 5 प्रतिशत से अधिक त्रुटि हो।

3—हिन्दी निबन्ध दो घंटे का होगा।

अभ्यर्थियों से किसी विषय पर पत्र और/या एक निबन्ध लिखने की अपेक्षा की जायगी।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,

शिक्षा सचिव।